"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 जुलाई 2016— आषाढ़ 10, शक 1938

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-19/2015/12. — खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख एवं धारा 15 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 22 के उप-नियम (2) के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ञ) जनकल्याण :- राज्य शासन के निर्देशानुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिये प्रावधान."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 7-19/2015/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 30th June 2016

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/12. — In exercise of the power conferred by Section 9B and sub-section (4) of Section 15 of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015 from the date of this notification, namely :-

AMENDMENT

In the said Rules,-

After clause (i) of sub-rule (2) of rule 22, the following clause shall be inserted, namely :-

"(j) **Public welfare** :- Provision, as per the direction of State Govenment, for programmes and schemes related with public welfare activities of Central Government and State Government."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
IFFAT ARA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.